न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00486

1. प्रह्लाद आत्मज रामकुंवार जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी
2. किसकन्दा पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनी देवी बेवा स्व0 श्योकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी हाल निवासी धोड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ।
2. पप्पू लाल उर्फ फूलचन्द जी आत्मज स्व0 श्योकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी हाल निवासी धोड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 92 (क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 328 में खसरा नम्बर 982/30 रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि वादिनी कम 01 के पति व वादी संख्या 2 के पिता स्व0 श्री श्योकिशन उर्फ शोकिशन आत्मज गिलाराम को दिनांक 26.12.1978 को अन्त्योदय परिवार का होने से नियमानुसार आवंटित हुई थी और कब्जा संभलाया था । श्योकिशन का सन् 1982 में स्वर्गवास हो चुका है उनके वैध वारिसान केवल वादीगण हैं । वादीगण श्योकिशन की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त आवंटन को 10 वर्ष से भी अधिक समय हो जाने से वादीगण

नियामानुसार इस भूमि के खातेदार आसामी कानूनन बन चुके हैं । परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक केवल श्योकिशन को ही गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया हुआ है । श्योकिशन के पिता का नाम भी गिलाराम के बजाय गोपीराम दर्ज कर रखा है । वादीगण कुछ समय से अपने पूर्वजों के गॉव धोड में रहने चले गये हैं और वही से आकर समय–समय पर वादग्रस्त आराजी पर काश्त करते हैं और करवाते हैं । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि को छीनने का प्रयास करते रहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रतिवादी कम 01 ने वादीगण के खिलाफ वादिनी कम 01 के पति व वादी कम 02 के पिता को हुए आवंटन को खारिज करवाने के लिए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका निर्णय न्यायालय ने दिनांक 10.10.2006 को किया जिसमें प्रतिवादी कम 01 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । उक्त आदेश के खिलाफ प्रतिवादी ने किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । स्व0 श्योकिशन के पिता का नाम गोपीराम के स्थान पर गिलाराम दुरूस्त कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उक्त भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर ले तों उन्हें बेदखल किया जाकर वापस कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.07.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपने पिता व पति श्योकिशन पुत्र गीलाराम को आवंटित होना बताकर आये हैं लेकिन कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट के पिता रामकंवार ने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व पडत से आबाद किया था तब से ही प्रतिवादीगण के पिता एवं पति उनके वृद्ध होने से प्रतिवादी अपीलान्ट प्रहलाद लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चेले आ रहे हैं । वादीगण के पिता एवं पति कभी भी ग्राम धोडी में नहीं रहे और न ही ग्राम पंचायत डोडी से कोई राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज जारी हुए हैं । वादीगण के पिता ने गैर कानूनी रूप से आवंटन करवाया है जिसके बाबत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश कर रखी है जो विचाराधीन है । उक्त भूमि पर वादीगण के पिता व पति का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 10.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट कम 01 प्रहलाद ही उक्त प्रकरण में आते–जाते थे । अपीलान्ट दिनांक 08.09.2017 को तेज ज्वर से पीडित हो गया तथा तबियत में सुधार आने पर दिनांक 11.09.2017 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 12.09.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट वादी अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाये हैं वो अपना निवास जिला भीलवाडा को बताकर आये हैं और केवल मात्र वादग्रस्त आराजी अपने पिता/पति को आवंटित होने का कथन करते हैं लेकिन कब्जे के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट प्रतिवादी के पिता ने 50 वर्ष पूर्व आबाद किया था और इस पर अपीलान्ट का कब्जा है । रेस्पोडेन्ट कभी भी ग्राम धोडी में नहीं रहे हैं । गलत रूप से यह आवंटन करवा लिया है । अपीलान्ट निरन्तर 50 वर्षो से काबिज काश्त होने के कारण खातेदार कृषक बन चुके है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का कथन किया ।

11. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 349 जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी श्योकिशन वल्द गोपीराम के खातेदारी में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1165 का हवाला अंकित है जिसके अनुसार श्योकिशन की मृत्यु हो जाने पर रेस्पोडेन्टगण का नाम इसमें दर्ज किया गया है । खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है और तहसीलदार का एक प्रमाण पत्र पेश किये हैं । उक्त दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ हैं एवं प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट ने 14 (4) की कार्यवाही की थी जो खारिज हो चुकी है उसके खिलाफ अपीलान्ट ने जो अपील पेश की थी वो भी दिनांक 20.09.2019 को खारिज हो चुकी है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता है । रेस्पोडेन्ट ने नकल खसरा गिरदावरी एवं तहसीलदार का प्रमाण पत्र पेश किये है जो उनके कब्जे को प्रमाणित करता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दावे का जवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया है । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 14.03.2017 के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं और पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी इसमें दिनांक 11.07.2017 की तारीख पेशी नियत थी । इससे पूर्व ही इसको दिनांक 10.07.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण की उपस्थिति दर्ज की गई है परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है ।

15. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 11.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा